उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या–779 /69–1–14–14(104)/2013
लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शहरी गरीबों हेतु वर्तमान में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन) सितम्बर, 2013 से आरम्भ की गयी है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय वाले शहरों एवं 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों – लोनी, मोदीनगर, चंदौसी, खुर्जा, मुगलसराय, शिकोहाबाद और बड़ौत में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) लागू किया गया है। यह योजना शहरी गरीबों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के व्यापक एवं एकीकृत रूप से समाधान किए जाने के उद्देश्य से आरम्भ की गयी है। नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन के मिशन डाक्यूमेंट के प्रस्तर–13.8 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार इस योजना के संचालन हेतु स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट (एसएमएमयू) के अन्तर्गत गवर्निंग कौंसिल एवं प्रस्तर–13.9 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यकारी समिति का गठन शासनादेश सं0–1926/69–1–13–14 (104)/2013, दिनांक 28.02.2013 द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मिशन डाक्यूमेंट के प्रस्तर–13.16 में शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संचालन हेतु कार्यकारी समितियों के गठन का प्राविधान किया गया है। शहर स्तर पर गठित यह कार्यकारी समितियां शहरी बेधरों के लिये आश्रय योजना (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत सृजित होने वाली सुविधाओं के नियोजन, कियान्वयन एवं प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी होंगी।

उक्त समितियों का निम्नवत गठन किया जाता है :–

(I) नगर निगम वाले चयनित शहरों हेतु कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी)–

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2	परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण	उपाध्यक्ष
3	प्रभारी अधिकारी, एन0आर0एल0एम0	सदस्य
4	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
5	जिला सेवायोजन अधिकारी	सदस्य
6	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8	लोक निर्माण विभाग का अधिशाषी अभियन्ता से अनिम्न जनपदीय अधिकारी	सदस्य

9	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
10	जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
11–12	सम्बन्धित बैंक के दो प्रतिनिधि	सदस्य
13–14	सम्बन्धित स्वंय सहायता समूह/फेडरेशन्स (संघ) के दो प्रतिनिधि	सदस्य
15	परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य संयोजक
16	अध्यक्ष द्वारा को-आप्टेड अन्य सदस्य (अपर/उप/ सहायक नगर आयुक्त व अन्य जिसे वे आवश्यक समझें)	सदस्य

(II) नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो वाले चयनित शहरों में कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी)–

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण	अध्यक्ष
2	परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण	उपाध्यक्ष
3	प्रभारी अधिकारी, एन0आर0एल0एम0	सदस्य
4	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
5	जिला सेवायोजन अधिकारी	सदस्य
6	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8	लोक निर्माण विभाग का अधिशाषी अभियन्ता से अनिम्न जनपदीय अधिकारी	सदस्य
9	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
10	जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
11	सम्बन्धित शहर (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) के अधिशासी अधिकारी	सदस्य
12–13	सम्बन्धित बैंक के दो प्रतिनिधि	सदस्य
14–15	सम्बन्धित स्वंय सहायता समूह/फेडरेशन्स (संघ) के दो प्रतिनिधि	सदस्य
16	परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य संयोजक
17	अध्यक्ष द्वारा को-आप्टेड अन्य सदस्य (प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय व अन्य जिसे वे आवश्यक समझें)	सदस्य

2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), की अध्यक्षता में जिला नगरीय विकास अभिकरण को नोडल एजेन्सी नामित किया जाता है, जो राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 लखनऊ/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अधीन कार्य करेगा।

3. उपर्युक्त योजनान्तर्गत सिटी मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट (सीएमएमयू) के संचालन हेतु सिटी प्रोजेक्ट आफिसर नामित किये जायेगे। नगर निगम वाले शहरों में उप नगर अधिकारी अथवा उनके समकक्ष अधिकारी को सिटी प्रोजेक्ट आफिसर (सीपीओ) नामित किया जायेगा तथा उनकी सहायता हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के 02 सहायक परियोजना अधिकारियों को नामित किया जायेगा। नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत वाले शहरों के अधिशासी अधिकारी (ईओ) अथवा उनके समकक्ष अधिकारी को सिटी प्रोजेक्ट आफिसर

(सीपीओ) नामित किया जायेगा तथा उनकी सहायता हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना अधिकारी को नामित किया जायेगा। सिटी मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट(सीएमएमयू) के अन्तर्गत सिटी प्रोजेक्ट आफिसर के नेतृत्व में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन) के कार्यो के संचालन में सहायता हेतु विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया जाऐगा। उपरोक्त कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी)की बैठके शीघ्रातिशीघ्र आयोजित कर समयबद्ध रूप से मिशन के कार्यक्रम लागू किए जायेगें।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या– 779 (1)69–1–14–14(104)/214 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0
2. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–4202/241/एसजेएसआरवाई–एनयूएलएम/तीन/2001,दिनांक 24.03.2014 के सन्दर्भ में।
17. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
20. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
21. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
22. समस्त जिला आपूर्ति अधिकारी, उ0प्र0 ।
23. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
24. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
22/5/14
(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग

संख्या– 1865 / 69–1–14–14(104) / 2013
लखनऊ : दिनांक : 16 दिसम्बर, 2014

2062/PD

1720/CLS 17/12/14

शुद्धि–पत्र

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) की शहर स्तर पर कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु शहर स्तरीय कार्यकारी समिति के गठन विषयक नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम अनुभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–779 / 69–1–14–14(104) / 2013, दिनांक 23 मई, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त कार्यालय–ज्ञाप के प्रथम पैराग्राफ की 14वीं लाईन में उल्लिखित है कि **"शहर स्तर पर गठित यह कार्यकारी समितियां शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत सृजित होने वाली सुविधाओं के नियोजन, कियान्वयन एवं प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी होगी।"**

3. उपरिसन्दर्भित कार्यालय–ज्ञाप के प्रथम पैराग्राफ के 14वीं लाइन में उक्त के स्थान पर **"शहर स्तर पर गठित यह कार्यकारी समिति एन0यू0एल0एम0 के तहत आने वाले आजीविका उपघटकों के अतिरिक्त शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत सृजित होने वाली सुविधाओं के नियोजन, कियान्वयन एवं प्रबन्धन के लिये भी उत्तरदायी होगी।"** पढ़ा जाय।

4. अतः उपरिसन्दर्भित कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 23 मई, 2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

AD/JD/PD

17/12/14

11/12/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

सं0–1865 (1)69–1–14–14(104) / 2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1297/ADS
JD/PD
18/12/14

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम विभाग, उ0प्र0।
2. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

6. प्रमुख सचिव / सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–1873 / 241 / एनयूएलएम / तीन / 2001(एचयूएच), दिनांक 28.08.2014 के सन्दर्भ में।
17. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0।
20. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
21. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
22. समस्त जिला आपूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।
23. समस्त परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
24. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।